(

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक– प्र0/ऊर्जा गैर योजना बजट–32/2016 पटना,दिनांक –

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– विद्युत वितरण कम्पनियों के Operational एवं Financial Turn Around के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत उदय योजना के कार्यान्वयन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं बिहार स्टेट पावर (हों0) कं0 लि0, पटना के दोनों वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा की गई त्रिपक्षीय समझौता की कंडिका 1.2 (K) के आलोक में दोनो वितरण कम्पनियों का दिनांक– 31.03.2015 तक ऊर्जा विपत्र की बकाया राशि 1886.65 करोड़ (NBPDCL Rs. 768.99 करोड़ + SBPDCL Rs. 1117.66 करोड़) रूपये दोनो वितरण कम्पनीयों में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये जाने की योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि 500.00 करोड़ रूपये (पॉच सौ करोड़ रूपये) (NBPDCL Rs. 203.80 करोड़ + SBPDCL Rs. 296.20 करोड़) के अतिरिक्त राशि 1386.85 करोड़ रूपये (NBPDCL Rs. 565.19 करोड़ +SBPDCL Rs. 821.46 करोड़) उपरोक्त दोनों कंपनियों में राज्य सरकार द्वारा निवेश स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ऊर्जा मत्रांलय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम संख्या 06.02.2015 –NEF/FRP दिनांक 20.11.2015 द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियो के Operational एवं Financial Turnaround के लिय उदय योजना (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना) निर्गत किया गया है। उदय योजना के प्रावधानानुसार समयबद्व तरीके से विभिन्न कार्य यथा फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर का अनिवार्य मीटरीकरण, कन्ज्यूमर इंडेक्सींग एवं जी०आई०एस० मैंपिंग, ट्रांसफार्मर मीटर आदि का उन्नयन एवं बदलाव, 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटरिंग का अधिष्ठापन, LED, Lamp, Star rated Transformer, Pumps, Fan के माध्यम से भार के द्वारा विद्युत प्रबंधन त्रैमासिक टैरिफ पुनरीक्षण, उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा चोरी रोकने से सम्बन्धित अभियान एवं कम AT & C Loss वाले क्षेत्रों में अधिक विद्युत आपूर्ति हेतु दोनों वितरण कम्पनियों के परिचालन कार्यकुशलता एवं वित्तीय स्थिति को बेहतर करने में कारगर होगी। उक्त योजना कि स्वीकृति ऊर्जा विभाग बिहार सरकार के द्वारा भी उनके ज्ञापांक 266 दिनांक 04.02.2016 द्वारा दिया गया है ।

2. उदय योजना के कार्यान्नवन हेतु ऊर्जा मत्रांलय भारत सरकार, बिहार सरकार एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के दोनो वितरण कम्पनियों द्वारा त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर दिनांक 22.02.2016 को किया गया। उदय योजना के शर्तो के आलोक में दोनो वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का दिनांक– 31.03.2015 तक ऊर्जा विपत्र की बकाया राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना है।

3. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" मांग संख्या 10 उपशीर्ष–0106–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, की परियोजना, विपत्र कोड P-4801051900106, विषय शीर्ष–54 01 निवेश के अन्तर्गत राशि 821.46 करोड़ रूपये एवं मुख्य शीर्ष "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" मांग संख्या 10 उपशीर्ष–0107–नॉर्थ

बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, की परियोजना, विपत्र कोड P-4801051900107, विषय शीर्ष–54 निवेश के अन्तर्गत राशि 565.19 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायगी।

5. उक्त निमित राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

7. उक्त योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् के द्वारा संचिका सं0– प्र0/ऊर्जा गैर योजना बजट–32/2016 के पृष्ट सं0–31/टि पर दिनांक– 15.03.2017 को प्राप्त है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 639/6015 दिनांक 20.03.2017 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांकः– प्र0/ऊर्जा गैर योजना बजट–32/2016 **दिनांक** ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांकः– प्र0/ऊर्जा गैर योजना बजट–32/2016 975 **दिनांक** 20/03/2017

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0. मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

E:\vipul\2017\A W\जे पी सर Uday Cabinate Note 27-01-2017

(8)